GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBE No.99/90

NO.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5 New Delhi, dated : 11-6-1990.

The General Managers,
All Indian Railways including DLW, CLW, ICF & DCW.

The Director General,
RDSO, Lucknow.

Subject: Revision of pay scales of school teachers- Clarifications regarding.

****

In continuation of the clarification issued against Point No.(iv) of this Ministry's letter of even number dated 23-3-89 and in context of certain queries raised in the matter, the Ministry of Railways desire to clarify as under:-

POINT	CLARIFICATION
1. Whether the benefit of 20% Selection Grade will be granted from the date from which the teachers become eligible or from the date of DPC's approval.	The benefit of 20% Selection grade will be admissible to teachers from the date the posts were created or fall vacant, provided they were/are eligible in terms of Para 4(i) of this Ministry's letter of even number dated 11-1-88. However, orders for the purpose will beissued only after DPC has approved the same.
2. Whether teachers who had completed 12 years in the senior grade as on 1-4-88 and had subsequently been promoted to higher grade will be entitled for consideration against 20% Selection grade.	Teachers who were in the erstwhile Selection grade/existing Sr. grade and had completed 12 years in the Senior grade as on 1-4-88 and had/been promoted to higher grade*/of Selection grade from the date of their eligibility upto the date of their promotion to the higher grade in terms of this Ministry's letter of even number dt. 11-1-88, subject to their eligibility for the same.

/subsequently

*/may be considered for grant

.....2/-

3. Whether teachers who were in service as on 1-1-86 and subsequently retired/resigned/ died are eligible for consideration of granting the benefit of senior grade/selection grade.	Yes, provided they were found fit.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl.: Nil.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(P&A)

NO.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5 New Delhi, Dated:11-6-1990.

Copy forwarded to FA & CAOs, All Indian Railways including C.L.W., D.L.W., I.C.F. & R.D.S.O.; DCW.

(A.C.BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTABLISHMENT(P&A)

NO.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5 New Delhi, dated 11-6-1990.

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways) for information.

Encl.: Nil. for Financial Commissioner/Railways

No.E(P&A)I-87/PS-5/PE-5 New Delhi, dated 11-6-1990.

1. The General Secretary, N.F.I.R., 3-Chelmsford Road, New Delhi.
2. The General Secretary, A.I.R.F., 4-State Entry Road, New Delhi.
3. All Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to:

PSs to CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, Adv(S), Adv(F).
SPAs to EDPC-I, EDPC-II, EDE, EDE(N), EDE(IR), JDE(N), DE(GC), JDE(GP), JDE(GR), JDE(W), JDE(P&A).
E(G) (With 3 spares), E(W), E(NG)I, E(NG)II, F(E)I, F(E)II, F(E)III, F(E)Spl., F(GR)I, E(GR)II, E(GP), PC-III, PC-IV, E(Rep.)I, II, III, E(P&A)II, Accts. Inspection Cell (with 3 spares), E(LR)II Branches of Rly. Board.

100/-

आर बी ई सं0 99/90

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई(पी एंड ए)I-87/पी एस-5/पी ई-5 नयी दिल्ली, दि0 11.6.90

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
डी. रे. का., चि. रे. का., स. डि. का.
तथा डी. पु. का.

महानिदेशक,
अ. अ. मा. सं., लखनऊ।

विषय: स्कूली अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन—तत्संबंधी स्पष्टीकरण।

इस मंत्रालय के 3.3.89 के समसंख्यक पत्र के मुद्दा सं0 (11/) के संबंध में जारी स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में उठाए गए कतिपय और प्रश्नों के क्रम में, रेल मंत्रालय निम्न प्रकार स्पष्ट करना चाहता है:-

मुद्दा	स्पष्टीकरण
1. क्या 20 प्रतिशत प्रवरण ग्रेड का लाभ उस तारीख से प्रदान किया जाएगा जिस तारीख से अध्यापक इसके लिए पात्र हो जाते हैं या वि. पदो. स. द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख से।	अध्यापकों को 20 प्रतिशत प्रवरण ग्रेड का लाभ उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख से पद सृजित किए गए हों या रिक्त हो जाएं, बशर्ते कि वे इस मंत्रालय के 11.1.88 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4(1) के अनुसार पात्र थे/हों। बहरहाल, इस प्रयोजन के लिए आदेश वि. पदो. स. द्वारा उनको अनुमोदित किए जाने के बाद ही जारी किए जाएंगे।
2. जिन अध्यापकों ने 1.4.88 को वरिष्ठ ग्रेड में 12 वर्ष पूरे कर लिए हों तथा बाद में उनकी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की गई हो, क्या वे 20 प्रतिशत प्रवरण ग्रेड के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे।	जो अध्यापक पूर्ववर्ती प्रवरण ग्रेड/मौजूदा वरिष्ठ ग्रेड में थे और 1.4.88 को उन्होंने 12 वर्ष पूरे कर लिए थे तथा बाद में उनको उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की गई थी, उन्हें इस मंत्रालय के 11.1.88 के समसंख्यक पत्र के अनुसार, उनकी पात्रता की तारीख से उच्चतर ग्रेड में उनकी पदोन्नति की तारीख तक के लिए प्रवरण ग्रेड प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे उसके लिए पात्र हों।

....................2/-

3. जो अध्यापक 1.1.86 को सेवा में थे तथा बाद में सेवा-निवृत्त हो गए/त्याग पत्र दे गए/मर गए, क्या वे वरिष्ठ ग्रेड/प्रवरण ग्रेड का लाभ प्रदान किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए उपयुक्त हैं।	हाँ, बशर्ते कि उन्हें उपयुक्त पाया गया हो।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(एस० सी० बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते),
रेलवे बोर्ड

संलग्न: कुछ नहीं।

सं० ई(पी एंड ए)I-87/पी एस-5/पी ई-5 नयी दिल्ली, दि० 11.6.90.

प्रतिलिपि: वि० स० एवं मु० ले० अधि०, सभी भारतीय रेलें, चि० रे० का०, डी० रे० का०, स० डि० का०, अ० अ० मा० सं० तथा डी० पु० का० को अग्रेषित।

(एस० सी० बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते),
रेलवे बोर्ड.

सं० ई(पी एंड ए)I-87/पी एस-5/पी ई-5 नयी दिल्ली, दि० 11.6.90

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न: कुछ नहीं।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

सं० ई(पी एंड ए)I-87/पी एस-5/पी ई-5 नयी दिल्ली, दि० 11.6.90

1. जनरल सेक्रेटरी, एन.एफ.आई.आर., 3-चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, ए.आई.आर.एफ, 4-स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.